उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-103/2025/2184 /30-3-2025-83जीई/2012
लखनऊ : दिनांक 06 सितम्बर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

परिवहन आयुक्त संगठन के अंतर्गत कार्यरत श्री सियाराम वर्मा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ज्येष्ठता क्रमांक-193ए) को नियमित चयनोपरांत उनसे कनिष्ठ श्री उदयवीर सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-195) की सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(वरिष्ठ वेतनमान) के पद पर पदोन्नति की तिथि 23.06.2014 से दिनांक 14.08.2019 तक सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) के पद पर तथा श्री उदयवीर सिंह की सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 16.02.2023 से नोशनल पदोन्नति एवं सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री सियाराम वर्मा द्वारा नोशनल पदोन्नति की अवधि में वास्तविक रूप से पदधारित नहीं किया गया। अत: श्री वर्मा को नोशनल पदोन्नति की उपर्युक्त अवधि का एरियर/भत्ते दिये जाने का अवसर नहीं पाया गया है।

ह0/-
(अमित गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या-102/2025/2184(1)/30-3-2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
(4) अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ0प्र0 लखनऊ।
(5) संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
(6) सम्बन्धित उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)/संभागीय परिवहन अधिकारी (द्वारा परिवहन आयुक्त उ0प्र0)
(7) संबंधित अधिकारी।
(8) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति/नियुक्ति को उ0प्र0 के सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए मुद्रित राजपत्र की पच्चीस प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(9) कार्मिक अनुभाग-1
(10) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in